विद्यालय - ST PAULS SR SEC SCHOOL JALORE (P32250) आवेदन क्रमांक : 36663

मान्यता कोड : RJJLR30420

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय)JALOR , राजस्थान

क्रमांक: /जिशिअ/जा/मु/मा/२०.७./2020/1847 दिनांक 30.12.2020

सचिव

प्रबंध समिति

ST PAULS SR SEC SCHOOL JALORE

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (8) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 36663 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, ST PAULS SR SEC SCHOOL JALORE पता P.B. No.4, Ahore Road, Jalore (Raj.) PIN_343001 ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय NP JARORE ब्लॉक JALORE को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ:-

अतिरिक्त संकाय के लिए विवरण	
पूर्व मान्यता के अनुसार कक्षा 11 एवं 12 में संचालित संकाय का विवरण	
वाणिज्य संकाय	Commerce (Accountancy), Commerce (Business Studies), Economics (Commerce Stream), Mathemetics (Commerce Stream), Commerce (Short Hand English), Computer Science, Informatics Practices
कला संकाय	Economics (Arts Stream), Political Science, History, English Literature, Hindi Literature, Drawing, Home Science, Sociology, Physical Education, Public Administration, Computer Science
स्वीकृत अतिरिक्त संकाय का विवरण	
विज्ञान संकाय	Biology (Science Stream), Chemistry (Science Stream), Computer Science, Informatics Practices, Mathematics (Science Stream), Physics (Science Stream)
अतिरिक्त विषय के लिए विवरण	
पूर्व मान्यता के अनुसार कक्षा 11 एवं 12 में संचालित संकाय एवं विषय का विवरण	
वाणिज्य संकाय	Commerce (Accountancy), Commerce (Business Studies), Economics (Commerce Stream), Mathemetics (Commerce Stream), Commerce (Short Hand English), Computer Science, Informatics Practices
कला संकाय	Economics (Arts Stream), Political Science, History, English Literature, Hindi Literature, Drawing, Home Science, Sociology, Physical Education, Public Administration, Computer Science
स्वीकृत अतिरिक्त विषय का विवरण	
कला संकाय	Geography

Scanned by CamScanner

विद्यालय - ST PAULS SR SEC SCHOOL JALORE (P32250) आवेदन क्रमांक : 36663

मान्यता कोड : RJJLR30420

1. विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
2. विद्यालय कक्षा1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यत पालन करना होगा तथा वांछित सूचनाऐं/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
5. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
7. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाऐंगे।
8. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाऐं प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाऐं संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
9. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा9 के साथ कक्षा 10/कक्षा11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।

Scanned by CamScanner

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक (मुख्यालय) जालोर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2 वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (गुरप5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
4 उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा,... संभाग.................................।
5 रक्षित पत्रावली।

30/12/22

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक (मुख्यालय) जालोर

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जालोर

कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर स्तर पर अनुमोदनोपरान्त निम्न शर्तो के आधार पर गैर सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सत्र 2012-13 से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. संस्था अनुदान की मांग नही करेगा।
2. संस्था में प्रशिक्षित अध्यापकों को ही नियुक्त किया जायेगा।
3. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के प्रावधानों की यथोचित पालना करनी होगी।
4. संस्था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोड अजमेर के मान्यता (सम्बद्धता) सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी।
5. संस्था सत्र 2012-13 में कक्षा 9वीं एवं सत्र 2013-14 में कक्षा 10 वीं प्रारम्भ करनी होगी।
6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निरीक्षण के समय किसी प्रकार की कोताही पाई गई तो संस्था की मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही अविलम्ब कर दी जावेगी।
7. संस्था को निर्धारित आरक्षित कोष रखना होगा।
8. संस्था द्वारा विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन के पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
9. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों/नियमों/निर्देशों की अनिवार्य रुप से पालना सुनिश्चित करनी होगी एवं वाछित सूचनाऐं/अभिलेख उपलब्ध करवाने होंगे।
10. संस्था को मान्यता हेतु प्रपत्र 'क' तीन प्रतियों में भरकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को मय शुल्क के उपलब्ध करवाना होगा एवं समय पर प्रपत्र 'क' भरकर प्रस्तुत नही करने पर परीक्षार्थियों के परीक्षा से वंचित रहने तथा विलम्ब शुल्क के भुगतान के लिए सम्बन्धित संस्था ही जिम्मेदार रहेगी।
11. शहरी क्षैत्र में कक्षा 9वीं की छात्र संख्या 20 एवं छात्रा संख्या 15 से कम हो तो कक्षाऐं आरम्भ नही की जावें।
12. संस्था को प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त करने हेतु हर वर्ष समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन करना होगा।
13. संस्था को अध्यापक/प्रार्थी की नियुक्ति विभागीय नियमान्तर्गत प्रक्रिया अपनाकर करनी होगी, जिसमें जिशिअ, माध्यमिक का प्रतिनिधि मनोनीत हो एवं विभागीय अनुमोदन प्राप्त किया जावें।

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक),जालोर

Scanned by CamScanner

14. संस्था को प्रतिवर्ष भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त कर आवश्यक रूप से इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

15. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर विद्यार्थियों से फीस ली जावें साथ ही विद्यालय समय चक्र, समय संचालन शिविरा कलेण्डर के अनुसार रखा जाना अनिवार्य होगा।

16. विद्यालय में कार्यरत अध्यापक/कार्मिक को विभागीय नियमानुसार वेतन भुगतान एवं अन्य देय सुविधा उपलब्ध करवानी होगी।

17. अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एवं इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा प्रसारित नियमों की पालना अक्षरशः करनी होगी। अन्यथा दी गई मान्यता निरस्त की जा सकेगी।

18. क्रमोन्नत विद्यालयों को आदेश जारी होने की तिथि से दो माह के मध्य अथवा परीक्षा आवेदन पत्र भरने के एक माह पूर्व जो भी पहले बोर्ड से अस्थाई मान्यता हेतु प्रपत्र 'क' भरकर जमा करवा देवें अन्यथा क्रमोन्नति आदेश जारी किये गये सत्र के लिये प्रभावी नही होंगे। दो माह के बाद विलम्ब शुल्क भी बोर्ड को देना होगा।

क.सं.	जिला	गैर सरकारी विद्यालय का नाम	मान्यता का स्तर	माध्यम
1	जालोर	सेन्ट पॉल्स स्कूल,(जालोर)	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक	अंग्रेजी

निरीक्षण दल द्वारा लगाये आक्षेपों की पूर्ति निश्चित समय अवधि में पूर्ण करनी होगी। प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति, भवन सम्बन्धी आक्षेपों की पूर्ति प्रबन्ध समिति संबंधी आक्षेपों की पूर्ति करने की शर्त पर मान्यता दी जाती है।

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक),जालोर

क्रमांक/जिशिअ/मा/जा/मान्यता/2011/344
दिनांकः- 25-6-2012

प्रतिलिपिः-
1. श्रीमान उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
4. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।
5. गैर सरकारी विद्यालय सेन्ट पॉल्स स्कूल जालोर
6. रक्षक पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक),जालोर

//तौकीर//

Scanned by CamScanner

कार्यालय : जिला शिक्षा अधिकारी,(प्रारम्भिक शिक्षा) जालोर

कार्यालय आदेश

सेंट पॉलस स्कूल, जालोर .... को राजस्थान गैर–सरकारी शिक्षण संस्था मान्यता एवं अनुदान नियम 1993 एवं तत्पश्चात् किये गये संशोधन के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए सत्र 2008–09 से उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं शपथ पत्र के आधार पर **अंग्रेजी** माध्यम से निम्नांकित शर्तो की पूर्ति पर दी जाती है :–

1. प्रवेशिका प्रारम्भिक (एल.के.जी.,यू.के.जी.) कक्षाओं का संचालन नहीं किया जावें।
2. अध्यापक वर्ग छात्र अनुपात में प्रशिक्षित होना अनिवार्य है।
3. विभागीय नियमानुसार समान परीक्षा योजना एवं आठवीं बोर्ड के अन्तर्गत परीक्षाएँ शिविरा कलेण्डर के अनुसार आयोजित की जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर विद्यार्थियों से फीस ली जा सकेगी।
5. सभी कक्षाओं में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम से पढाया जायेगा।
6. संस्था के मार्फत लाभ के उद्देश्य से विद्यार्थियों की पोशाकें,निजी प्रकाशकों की पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य सामग्री का विक्रय नहीं किया जावें।
7. विभाग द्वारा चाही गई विभिन्न सूचनाएँ समय पर उपलब्ध करवायेंगें तथा विभाग द्वारा दिये गये कार्यो/निर्देशों का पालना अनिवार्य करेंगे।
8. विभागीय अधिकारियों द्वारा संस्था जांच/निरीक्षण किये जाने पर सभी अभिलेख एवं विवरण तुरन्त उपलब्ध करायेंगे।
9. संस्था के आय–व्यय लेखों की ऑडिट प्रति वित्तीय वर्षीय करवानी होगी तथा एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें।
10. विद्यालय समयचक शिविरा कलेण्डर के अनुसार रखा जाना अनिवार्य होगा।
11. विद्यालय का भवन सुरक्षा प्रति तीन वर्ष में एक बार अधिकृत व्यक्ति से करवाकर इस कार्यालय उपलब्ध करवाना होगा।
12. विद्यालय में कार्यरत अध्यापक/कर्मचारी को विभागीय नियमानुसार वेतन भुगतान उपलब्ध करवाना होगा।
13. सत्र 2008–09 में कक्षा 6 प्रारम्भ करेंगे एवं आगामी वर्षो में आप अगली कक्षा प्रारम्भ करेंगे
14. राज. गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 के परिशिष्ट 2 के शर्त पूर्ति के आधार पर

उपरोक्त नियमों की अवहेलना एवं परिशिष्ट/नियम 34(2) किसी शर्तो की पूर्ति नहीं किये जाने पर मान्यता रद्द की जा सकती है।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा जालोर
दिनांक 30.4.08

कमांक जिशिअ/प्राशि/जा/मान्यता/08/82

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति जालोर।
2. सम्बन्धित संस्था सेंट पॉलस स्कूल जालोर।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा जालोर

C\ my document ARUN <General letter>

Scanned by CamScanner